

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या-1फ/विशेषज्ञ/पुनर्योजन विस्तार/2023/

लखनऊ: दिनांक 17/11/2023

विशेषज्ञ विस्तार

—:: आदेश ::—

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पांच-14-7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या-1961/सेक-2-पांच-14-7(255)/13, दिनांक 18.06.2014, संख्या-965/सेक-2-पांच-16-7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016, शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/सेक-2-पांच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञों को एक वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवा विस्तार किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों के लिए पूर्व सेवा नियोजन/विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतद्वारा तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।

पुनर्योजित चिकित्सकों के सेवाविस्तार हेतु उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा परफार्मेंस रिपोर्ट के आधार पर सेवा विस्तार की संस्तुति की गयी है। नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें, कि सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी वर्तमान में नियमित रूप से चिकित्सालय में उपस्थित होकर शासकीय कार्य समय एवं लगन के साथ सम्पादित कर रहा है। किसी भी प्रकार का विचलन पाये जाने पर पूर्ण उत्तर दायित्व नियंत्रक अधिकारी का होगा भ्रम की स्थिति में महानिदेशालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जा सकते हैं।

- (1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।
- (2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
- (3) पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो पुनर्योजित कार्मिक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आये। पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन+शुद्ध पेंशन के योग पर महगाई भत्ता अनुमन्य होगा, किन्तु पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से महगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।
- (4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भाँति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।
- (5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16-ए में प्राविधानित है।
- (6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।
- (7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भाँति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।
- (8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।
- (9) सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0वी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

- (10) सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
- (11) यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र० के संज्ञान में लाया जाय।
- (12) पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि 15 दिन में सेवा में योगदान नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (13) पुनर्योजित परामर्शी चिकित्सक से प्रशासकीय कार्य को छोड़ कर अन्य समस्त चिकित्सकीय कार्य नियमित चिकित्सक के बराबर लिया जा सकेगा।

S. No.	Name	Seniority Number	DOB	Date of Retirement	Specialist	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. BHART BHUSHAN PUSAKAR	7183	25/07/1960	31/07/2022	ANESTHETIST	District Hospital Agra
2.	Dr. AMRIT RANI BHAMBAY	7363	4/2/1959	28/02/2021	ANESTHETIST	District Women Hospital Muzffernagar
3.	Dr. SURESH CHANDRA	7493	1/9/1959	31/08/2021	EYE SURGEON	Balrampur Hospital Balrampur
4.	Dr. Ram Pravesh Rawat	6949	12/8/1959	31/08/2021	PAEDIATRICIAN	Virangna Awanti Bai Women Hospital Lucknow
5.	Dr. Om Prakash Verma	9002	30/07/1959	31/07/2021	PAEDIATRICIAN	Veerangna Awanti Bai Women hospital Lucknow
6.	Dr. AKHILESH KUMAR GUPTA	6708	1/10/1959	30/09/2021	PAEDIATRICIAN	District Combined Hospital Vrindavan Mathura
7.	Dr. JANARDAN MANI TRIPATHI	5856	1/6/1959	31/05/2021	ANESTHETIST	District Hospital Mau
8.	Dr. SHRI KANT TIWARI	6500	6/7/1959	31/07/2021	EYE SURGEON	Dr S.P.M Civil Hospital Lucknow
9.	Dr. KULDEEP KUMAR GUPTA	6536	13/09/1959	30/09/2021	MEDICINE SPECIALIST	District Combined Hospital Vrindavan Mathura
10.	Dr. MOHIT KUMAR JAIN	8233	1/2/1959	31/01/2021	RADIOLOGIST	100 Bed Hospital Khurja Bulandshaher
11.	Dr. NAND KISHORE	8689	5/9/1959	30/09/2021	PAEDIATRICIAN	Dr S.P.M Civil Hospital Lucknow
12.	Dr. ATAL BEHARI VERMA	8184KA	3/7/1959	31/07/2021	PAEDIATRICIAN	District Combined Hospital Ambedkar Nagar
13.	Dr. SHASHIKANT	9313	3/6/1959	30/06/2021	SURGEON	District Combined Hospital Ambedkar Nagar
14.	Dr. DINESH KUMAR GUPTA	9080	2/6/1959	30/06/2021	RADIOLOGIST	R.L.B Hospital Rajajipuram Lucknow
15.	Dr. SANDHYA GUPTA	11682	7/9/1959	30/09/2021	GYNECOLOGIST	District women Hospital Oral Jalaun
16.	Dr. DHURVA CHANDRA KUMAR	7402	1/8/1959	31/07/2021	RADIOLOGIST	Balrampur Hospital Lucknow
17.	Dr. KAILASH CHANDRA BHARDWAJ	8807	26/10/1960	31/10/2022	CARDIOLOGY SPECIALIST	UHM Male Hospital Kanpurnagar

18.	Dr. GIRISH CANDNRA SRIVASTAVA	5991	9/7/1959	31/07/2021	PAEDIATRICIAN	100 Bed TB Cum General Hospital Gorakhpur.
19.	Dr. LAXMI SHANKAR MISHRA	8132	1/7/1959	30/06/2021	ENT SPECIALIST	Divisional Hospital Mirzapur
20.	Dr. SHIV NATH SINGH	10014	8/7/1960	31/07/2022	ORTHOPAEDICS SPECIALIST	District combined Hospital Sanjay Nagar Ghaziabad
21.	Dr. NARESH SINGH TOMAR	7270	10/8/1960	31/08/2022	TB CHEST DISEASE SPECIALIST	District Combined Hospital Bareilly
22.	Dr. RAMESH CHANDRA	10163	2/10/1959	31/10/2021	PAEDIATRICIAN	District M.M.G. Hospital Ghaziabad
23.	Dr. YOGENDRA YATI	7203	16/01/1959	31/01/2021	PAEDIATRICIAN	District Combined Hospital Sant Kabir Nagar
24.	Dr. NAGENDRA PRASAD SINGH	8237	18/07/1959	31/07/2021	ENT SPECIALIST	100 Beded Hospital Gorakhpur
25.	Dr. SURESH KUMAR	8645	10/11/1959	30/11/2021	ANESTHETIST	Under CMO Kushinagar
26.	Dr. SATISH RANJAN	9793	15/07/1959	31/07/2021	PAEDIATRICIAN	Under CMO Kushinagar
27.	Dr. RAM NATH GARG	11635	20/02/1959	28/02/2021	MEDICINE SPECIALIST	District Hospital Agra
28.	Dr. SUNIL KUMAR GUPTA	9426	1/5/1959	30/04/2021	MEDICINE SPECIALIST	District Hospital Agra
29.	Dr. KAVITA ARORA	9221	20/07/1959	31/07/2021	PATHOLOGIST	District Male Hospital Agra
30.	Dr. RAVINDRA SINGH	7221	1/4/1959	31/03/2021	ORTHOPAEDICS SPECIALIST	District M.M.G. Hospital Ghaziabad
31.	Dr. RADHE RAMAN SRIVASTAVA	9800KA	22/09/1960	30/09/2022	MEDICINE SPECIALIST	Divisional Hospital Azamgarh
32.	Dr. Bindu Shukla	6363	8/8/1960	31/08/2022	ANESTHETIST	T.B. Cum Combined Hospital Thakurganj Lucknow
33.	Dr. SHIVA PRASAD GUPTA	9800	16/08/1960	31/08/2022	EYE SURGEON	District Hospital Banda
34.	Dr. JYOTI SAXENA	6305	27/08/1959	31/08/2021	ANESTHETIST	UHM Male Hospital Kanpurnagar
35.	Dr. RAM BAHADUR SINGH	7191	2/1/1959	31/01/2021	OPHTHALMOLO GIST	100 Bed Combined Hospital Sadhamau Lucknow
36.	Dr. ASHOK CHANDRA	7431	31/03/1959	31/03/2021	EYE SURGEON	Lok Bandhu Raj Narain Combined Hospital Lucknow
37.	Dr. RAJ KISHORE	6757	1/7/1959	30/06/2021	TB CHEST DISEASE SPECIALIST	District Male Hospital Agra

For Selected Candidate:-

- It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- The time for joining will be 15 days within date of appointment.

(डा० दीपा त्यागी)
महानिदेशक

संख्या-1फ/विशेषज्ञ/पुनर्योजन विस्तार/2022-23/3919(11)तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ।
- 4- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 5- महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगतनरायन रोड, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 7- सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश, शासन।
- 10- संबंधित चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर अपर निदेशक(प्रशासन) को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
- 11- गार्डफाइल।

अपर निदेशक (प्रशासन)